न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 141/2023 (416/2018)

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. बीरबलराम पुत्र धोकलाराम 2. खमू पुत्र धोकलाराम 3. माणकराम पुत्र धोकलाराम जातियान विश्नोई 4. वरदा पुत्र भीखा 5. खमाराम पुत्र देवाराम 6. बाबूराम पुत्र देवाराम 7. नारायणराम पुत्र देवाराम 8. मांगाराम पुत्र घमण्डाराम 9. मांगाराम पुत्र घमण्डाराम 10. गिरधारीराम पुत्र घमण्डाराम जातियान–मेघवाल 11. राणीदान पुत्र उदयदान 12. श्रेणीदान पुत्र हिंगलाजदान जातियान चारण सभी निवासी– पटाउ कलां तहसील पचपदरा बालोतरा, जिला बालोतरा		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2017 जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण संख्या 19/2017 अनवान सरकार बनाम बीरबलराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. एक की ओर से।

निर्णय

दिनांक 20 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पटाउ कला से ग्राम कुडी नेवाई मार्ग तक सरहद अनुसार ख0सं0 220/50, 224/57, 222/54, 223/54, 56, 235/62, 233/61, 232/62, 240/67, 241/67, 242/67, 70, 71 की

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

रकबा भूमि में से रास्ता चल रहा है परन्तु उसक राजस्व रेकर्ड व जमाबन्दी तथा नक्शे में रास्ता अंकन नहीं है अतः प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरान की रास्ते की रकबा भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 06.06.2017 को अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उल्लेखित खसरान भूमि का संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.09.2018 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत पेश प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है एवं उन्हें कोई सुनवाई का अवसर नोटिस नहीं दिया गया। दिनांक 10.08.2018 को मेरे खाते वाली भूमि की जमाबन्दी की नकल ली तो उसमें जरिये नामा0 अपीलार्थी की भूमि गैरमुमकीन सडक रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश हुआ है। तब अपीलान्ट ने दिनांक 27.08.2018 को उक्त निर्णय की नकले प्राप्त हेतु उपखण्ड कार्यालय में जाकर आवेदन किया तब दिनांक 29.08.2018 को नकले प्राप्त की। इससे पूर्व में आदेश की कोई जानकारी नहीं हुई। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जावे तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत विरोध प्रकट किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा म्याद प्रार्थना पत्र में प्रकट किये गये तथ्यों के आधार पर न्यायहित में अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करते हुए निवेदन किया कि उल्लेखित खसरान भूमि में एक खसरा अपीलान्टस की खातेदारी का है जिसके ख0सं0 67, 57, 50, 57 है जिनको अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया गया है, अधिनस्थ न्यायालय ने उसके बावजूद भी एकतरफा आदेश पारित कर दिया ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। उक्त वर्णित रकबा भूमि में से कोई रास्ता नहीं चल रहा है धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कृषि भूमि की किस्म बदली जा सकती है। उक्त वर्णित रकबा भूमि में से कोई रास्ता

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नहीं चल रहा है इसलिये राज्य सरकार के जिस परिपत्र का अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है उसके तहत ऐसे रास्ते का आदेश नही दिया जा सकता। कोई परिपत्र कानून के मूल आधार से बाहर जाकर नहीं किया जा सकता है, जब राज0 काश्तकारी अधिनियम में रास्ता दिये जाने सम्बन्धी प्रावधान पहले से मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिपत्र की प्रकिया अपना कर सार्वजनिक रास्तों का अंकन करने का निर्देश है। अपीलाधीन आदेश से भविष्य में कई तरह के नये विवादों को पैदा करेगा। वर्तमान में भी आसपास की भूमियों पर भी आवागमन हेतु पहले से वैकल्पिक मार्ग विध्यमान है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ख0सं0 67 की भूमि के बाबत पूर्व में ही नियमित वाद में डिक्री की जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की हुई है। ऐसे में उपखण्ड अधिकारी ने खातेदारों को बिना सुने ही सरसरी तौर पर कार्यवाही करते हुए कार्यालय में ही बैठकर बिना मौका जॉच किये ही केवल तहसीलदार के पेश प्रार्थना पत्र पर मनमाना आदेश पारित किया है। ख0सं0 67 की भूमि में नया रास्ता स्थापित करने हेतु धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो बाद सुनवाई खारिज किया गया एवं अंतिम निर्णय हो गया उसके बावजूद भी मनमाने ढंग से रास्ता स्थापित करने का आदेश दे दिया। राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता देने पर खातेदार को मुआवजा देने की सूरत में ही उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह जरूरी था कि पत्रावली कैम्प कोर्ट में ले जाने से पूर्व अपीलान्टस को नोटिस देते और सुनवाई के उपरान्त कोई आदेश पारित करते। अपीलाधीन आदेश मे अन्य व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध अपीलान्ट ने कोई अनुतोष नहीं चाहने से इस अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश को अपीलान्ट के ख0सं0 67, 57, 50, 70 ग्राम पटाउ कलां के संदर्भ में निरस्त किया जावे।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार पचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम पटाउ कलां के उल्लेखित खेत खसरान में सार्वजनिक रास्ता चालू पाये जाने पर उक्त रास्ते का अंकन/तरमीम राजस्व रेकर्ड में किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार, पचपदरा के द्वारा ग्राम पटाउ कला से ग्राम कुडी नेवाई मार्ग तक सरहद अनुसार ख0सं0 220/50, 224/57, 222/54, 223/54, 56, 235/62, 233/61, 232/62, 240/67, 241/67, 242/67, 70, 71 की रकबा भूमि में से चल रहे रास्ते को राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करते हुए नक्शे में तरमीम किये जााने का दिनांक 06.06.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रस्तुत करने पर वादग्रस्त भूमि/प्रभावित खातेदारान को सुनवाई व अपना पक्ष रखे जाने का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जबकि प्राकृतिक एवं नैसर्गिक के सिद्धान्त के अनुसार प्रभावित पक्षकार को उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व विधि अनुसार सुनवाई एवं अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर दिया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.2018 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 67, 57, 50, 70 गांव पटाउ कलां की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2018 को अपीलान्ट के खेत खसरान संख्या 67, 57, 50, 70 गांव पटाउ कलां की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए एवं अपीलान्ट के उल्लेखित खसरान भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्ट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ते को बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर